

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील नादौन,  
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र जगत राम, गांव व डा0 मंझियार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

श्रीमती सरीता देवी पुत्री बलदेव सिंह, महाल पुखरू पलाखर, डा0 मंझियार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—Application of Issuance of direction to registrar Marriage under section 8(4) Act, 1996.

श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र जगत राम, गांव व डा0 मंझियार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित उप-मण्डल दण्डाधिकारी नादौन के कार्यालय से प्राप्त होकर पेश हुआ है कि प्रार्थी श्री अशोक कुमार चौहान ने अनुरोध किया है कि उसकी शादी श्रीमती सरीता देवी पुत्री बलदेव सिंह, महाल पुखरू पलाखर, डा0 मंझियार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) से दिनांक 05-05-1998 को हुई थी प्रार्थी अपना विवाह की पंजीकरण तिथि 05-05-1998 को ग्राम पंचायत मंझियार के रिकार्ड में दर्ज भूलवंश न करवा सका तथा अब उक्त विवाह पंजीकरण दिनांक 05-05-1998 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझियार में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी गजट इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र जगत राम का विवाह पंजीकरण दिनांक 05-05-1998 को ग्राम पंचायत मंझियार में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-08-2024 को तहसील कार्यालय नादौन में सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र जगत राम, महाल व डा0 मंझियार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का विवाह पंजीकरण दिनांक 05-05-1998 ग्राम पंचायत मंझियार में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

-----